न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस)

मुकदमा संख्या :– 56 / 2020 **RCMS NO-2020/00013**

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री पवन आचार्य पुत्र उमेश कुमार आचार्य उम्र 40 वर्ष जाति ब्रामण निवासी आचार्यो का चौक, बीकानेर जिला बीकानेर (राज.) मैसर्स मातेश्वरी आटा मिल, भटियाणी जी के मन्दिर के सामने, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 श्री पवन आचार्य व अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार गोपा।

:: निर्णय :: दिनांकः 21.12.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.05.2019 को 11:30 एएम पर मैसर्स मातेश्वरी आटा मिल, भटियाणी जी के मन्दिर के सामने, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स मातेश्वरी आटा मिल, भटियाणी जी के मन्दिर के सामने, जैसलमेर जिला जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री पवन आचार्य पुत्र उमेश कुमार आचार्य कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नही होना बताया। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर आटा धन्यवाद ब्राण्ड को खादय प्रदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। शुद्वता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात आटा धन्यवाद ब्राण्ड 05 किलो के कट्टे में से 02 किलो लिये जिसके पेटे 50 रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा आटा धन्यवाद ब्राण्ड के 05 किलो कट्टे में से 02 किलो के नमूने लिये प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर चिपकाए एवं लेबलों पर डीओं कोड एवं क्रमांक नम्बर एन–944 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और लेबलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन–944 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन–944 आटा धन्यवाद ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खादय विश्लेषक, जोधपुर को श्री सुगनचंद शर्मा, वरिष्ठ सहायक के द्वारा दिनांक 17.05.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खादय विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 16.05.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/8263–65 दिनांक 17.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खादय विश्लेषक खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./395/Act/2019/442 दिनांक 23.05.2019 अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। खादय विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/स्वी./एन–944 के द्वारा आवेदक खादय सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री पवन आचार्य पुत्र उमेश कुमार आचार्य उम्र 40 वर्ष जाति ब्रामण निवासी आचार्यो का चौक, बीकानेर जिला बीकानेर (राज.) 2. मैसर्स मातेश्वरी आटा मिल, भटियाणी जी के मन्दिर के सामने, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) ने मीथ्याछाप आटा धन्यवाद ब्राण्ड का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 17.12.2020 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया कि यह है कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 01 विधिक होने से खादय सुरक्षा अधिकारी अथवा विभाग स्वयं साबित करें। चरण संख्या 02 में लिखा अभियुक्त शब्द अस्वीकार है। शेष लिखे नाम पते तक स्वीकार है। चरण संख्या 03 के कथन अस्वीकार है। चरण संख्या 04 के कथन अस्वीकार है प्रार्थी का व्यवसाय ही धन्यवाद आटे विक्रय करना है। चरण संख्या 05 के कथन खादय सुरक्षा अधिकारी स्वंय साबित करे। चरण संख्या 06 के कथन खादय सुरक्षा अधिकारी स्वंय साबित करे। चरण संख्या 07 के कथन खादय सुरक्षा अधिकारी स्वंय साबित करे। चरण संख्या 08 के कथन खादय सुरक्षा अधिकारी स्वंय साबित करे। चरण संख्या 09 के कथन खादय सुरक्षा अधिकारी स्वंय साबित करे। प्रार्थी द्वारा शुद्व आटा बेचा जाता है व public health laboratory Jodhpur के द्वारा भी आटा शुद्व पाया गया है। प्रार्थी धन्यवाद आटा ब्राण्ड का उत्पादन करता था उत्पादन के दौरान ही खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है। उत्पादन करने के बाद ही बैच नम्बर व उत्पादन दिनांक लगाई जाती है। खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी को समय दिये बिना ही सारी कार्यवाही फौरीत तोर पर की गई जो की प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ है। प्रार्थी गरीब व निर्धन परिवार से है दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन बसर करता है। प्रार्थी की परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुऐं प्रकरण का निस्तारण कर प्रार्थी को राहत प्रदान कराने निवेदन किया गया है।

प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./395/Act/2019/442 दिनांक 23.05.2019 के अनुसार आटा धन्यवाद ब्राण्ड का उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया हैं। वही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

प्रतित नही होता है तथा अप्रार्थी अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थी पर मिथ्याछाप स्तर के आटा धन्यवाद ब्राण्ड का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थी द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री पवन आचार्य जो मैसर्स मातेश्वरी आटा मिल, भटियाणी जी के मन्दिर के सामने, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर द्वारा मिथ्याछाप स्तर की खाद्य वस्तु आटा धन्यवाद ब्राण्ड विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर